Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में हत्या करने का प्रयास करने वाले आरोपी हरेन्द्र, विरेन्द्र व यशवीर को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 07 वर्ष का कारावास व 14,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा।

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1-हरेन्द्र, 2-विरेन्द्र व 3-यशवीर पुत्रगण राजपाल निवासी ग्राम तमेलागढी थाना दोघट जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2014 में वादी के घर में घुसकर हत्या करने के प्रयास की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0- 165/2014 धारा 307/452/504/506/324 भादवि पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 10.07.2024 को मा0 न्यायालय जिला जज जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों हरेन्द्र, विरेन्द्र व यशवीर को दोषी पाते हुए 07 वर्ष का कारावास व 14,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

श्री राहुल नेहरा डीजीसी
जनपद बागपत

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

Baghpat Police | baghpatpolice | @baghpatpolice

प्रेस नोट

थाना कोतवाली खेकडा **दिनाँक 10.07.2024**

थाना खेकडा पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पताः-

सलीम पुत्र मेहरबान निवासी बस्ती सुभाषनगर नई बस्ती वार्ड न0 08 कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 श्री अबरार हुसैन थाना खेकडा

2-का0 535 अतुल कुमार थाना खेकडा

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी दिनाँक 10-07-2024

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 104/2024 धारा 309(4) भारतीय न्याय संहिता का सफल अनावरण करते हुए, लूट की झूठी सूचना देने वाले व्यक्ति की निशादेही पर उसके घर से 70,000/- रूपये नगद, 01 मंगलसूत्र(सफेद धातु), 02 जोडी कुण्डल(पीली धातु) बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 4.7.2024 को थाना बालैनी पर वादी सोहनवीर पुत्र फूल सिंह निवासी डोलचा थाना बालैनी ने सूचना दी कि वादी व उसकी पत्नी घर से 1 लाख रुपये लेकर अमीनगर सराय स्थित बैंक गये थे, जहां से 75 हजार रुपए और निकाल कर अपने गांव डोलचा होते हुए मोदीनगर देने जा रहे थे, इसी बीच जंगल ग्राम हबीबपुर नंगला के रास्ते पर 02 मोटरसाइकिल सवार कुछ व्यक्ति आए और थप्पड़ मारकर तथा तमंचा दिखाते हुए वादी की जेब में रखे 1,75,000/- रुपए तथा वादी की पत्नी का कुंडल एवं चांदी का मंगलसूत्र लूट कर चले गए। उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 104/2024 धारा 309(4) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अनावरण हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 104/2024 धारा 309(4) भारतीय न्याय संहिता की विवेचना की जा रही थी जनपद स्तर व थाना स्तर की कई टीमे घटना

के अनावरण हेतु कार्य कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज तथा प्रत्यक्ष दर्शियों के कथन एवं वादी के द्वारा वर्णित घटनाक्रम में विरोधाभास पाए जाने के कारण बैंक (जहां से वादी ने पैसा निकाला था) तथा छोले भटूरे की दुकान (जहां पर वादी खड़ा हुआ था) एवं घटनास्थल के पास के सीसीटीवी फुटेज को गंभीरता से जांच किया गया, जिससे संदिग्धता प्रतीत हुई की वादी छोले भटूरे की दुकान के पास रुक करके अपने जेब से रुपये एवं अपनी पत्नी से गहने लेकर किसी पॉलिथीन में रख रहा है इसी तथ्य के आलोक में गहराई से जांच किया गया तथा आज दिनांक 9.7.2024 को वादी से गहनता से थाना बालैनी पर पूछताछ की गई, वादी ने लूट की घटना न होने की बात बताई तथा यह स्वीकार किया कि मेरे ऊपर 04 प्राइवेट बैंक क्रमशः आई फाइनेंस बैंक से 1,70,000 रू0, सीडस बैंक से 1,20,000 रू0, पूनावाला बैंक से एक लाख 80 हजार रुपये तथा बंधन बैंक से 1,50,000 रुपए लोन था तथा प्रति महीने लगभग 35 से 36 हजार रुपए हमारी किस्त आ रही थी। मेरे पास गांव में एक छोटी सी परचून की दुकान है उससे बहुत ही छोटी कमाई होती है और मैं आगामी 5 -6 महीने तक कर्ज चुकाने में स्वयं को असमर्थ पा रहा था, इसीलिए मैंने अपनी पत्नी को विश्वास में लेकर एक सुनियोजित योजना के तहत उपरोक्त घटना कारित होने का बहाना बनाया तथा पुलिस को लूट की झूठी सूचना दी। उसने यह भी बताया कि मेरे पास केवल 75,000/-रू थे जो मैंने बैंक से निकाले थे। वादी ने अपने घर से कथित लूटे हुए रुपयों में से 70,000/- रू तथा अपनी पत्नी के कुंडल एवं चांदी के लॉकेट को भी बरामद करा दिया है। तमामी विवेचनात्मक कार्यवाही में आए साक्ष्य के आधार पर लूट की घटना का होना नही पाया गया है। पुलिस को लूट की झूठी सूचना देने के सम्बन्ध में मुकदमा वादी के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

- 70,000/- रूपये नगद।
- 01 मंगलसूत्र सफेद धातु।
- 02 जोडी कुण्डल पीली धातु।

अनावरण व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 श्री शैलेन्द्र मुरारी दीक्षित थाना बालैनी जनपद बागपत।

2-नि0 श्री रावेन्द्र पलावत प्रभारी एस.ओ.जी. बागपत मय टीम

3-नि0 श्री राकेश शर्मा प्रभारी सर्विलांस सैल बागपत मय टीम।

4-उ0नि0 श्री मुकेश कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत।

5-का0 809 शिवकुमार सौलंकी थाना बालैनी जनपद बागपत।

6-म0का0 799 उमा थाना बालैनी जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला **दिनाँक 10-09-2024**

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 332/23 धारा 147/148/307 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध तंमचा .315 बोर किया बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 332/23 धारा 147/148/307 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध तंमचा .315 बोर बरामद किया है ।

उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अभिरक्षा में लिए गए अभियुक्त का नाम व पता-

उपेन्द्र उर्फ उप्पा पुत्र बलजोर निवासी महावतपुर बावली थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- निशादेही से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तंमचा 315 बोर **(सम्बन्धित मु0अ0सं0 332/23 धारा 147/148/307 भादवि थाना रमाला बागपत जनपद बागपत)**

अभियुक्त उपेन्द्र उर्फ उप्पा का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0-658/2000 धारा-392/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
2.मु0अ0स0-016/2002 धारा-3/4 गुण्डा एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत।
3.मु0अ0स0-479/2002 धारा-307 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
4.मु0अ0स0-497/2002 धारा-3/4 गुण्डा एक्ट थाना-बडौत जनपद बागपत।
5.मु0अ0स0-60/2006 धारा-302 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
6.मु0अ0स0-137/2006 धारा-25/27 आर्म्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत।
7.मु0अ0स0-172/2006 धारा-2/3 गै0 एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत।
8.मु0अ0स0-944/2008 धारा-302/120बी भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
9.मु0अ0स0-1047/2008 धारा-307 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
10.मु0अ0स0-026/2009 धारा-2/3 गै0 एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत।
11.मु0अ0स0-110/2009 धारा-25 आर्म्स एक्ट थाना भोराकला जनपद मु0नगर।
12.मु0अ0स0-012/2010 धारा-394/302/120बी भादवि थाना भोराकला जनपद मु0नगर।
13.मु0अ0स0-028/2010 धारा-364/394 भादवि थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
14.मु0अ0स0-107/2010 धारा-2/3 गै0 एक्ट भादवि थाना भौराकला जनपद मु0नगर।
15.मु0अ0स0-086/2013 धारा-307 भादवि थाना-भौराकला जनपद मु0नगर।
16.मु0अ0स0-319/2013 धारा-302/394 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत।
17.मु0अ0स0-355/2013 धारा-307 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत।
18.मु0अ0स0-356/2013 धारा-25 आर्म्स एक्ट थाना बागपत जनपद बागपत।
19.मु0अ0स0-806/2014 धारा-452/302/328/120बी भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
20.मु0अ0स0-177/2015 धारा- 3 गुण्डा एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत।
21.मु0अ0स0-221/2015 धारा-302/201/120बी भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
22.मु0अ0स0-314/2015 धारा-3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना-बडौत जनपद बागपत।
23.मु0अ0स0-382/2019 धारा 302/394 भादवि थाना-बडौत जनपद बागपत।
24. मु0अ0स0 332/23 धारा 147,148,149,307 भा.द.वि. थाना रमाला, बागपत
25.मु0अ0स0 711/23 धारा 379/411 भा.द.वि. थाना कोतवाली जनपद सीतापुर

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री राहुल प्रताप सिंह रमाला बागपत जनपद बागपत

2-उ0नि0 श्री जनार्दन प्रसाद रमाला बागपत जनपद बागपत

3-का0 583 उमेश कुमार रमाला बागपत जनपद बागपत

4-हो0गा0 572 प्रवेन्द्र कुमार रमाला बागपत जनपद बागपत

प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 10.07.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वांरटी/अभियुक्त का नाम व पता-

राजा पुत्र अनिल निवासी ग्राम फतेहपुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कपिल कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत

2-का0 1068 प्रवीण कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत **दिनाँक 10.07.2024**

ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत बागपत पुलिस ने गुमशुदा 03 बच्चो को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को किया सुपुर्द।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने गुमशुदा 03 बच्चो को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल बरामद कर उनके परिजनो को सुपुर्द किया गया।

परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चाहल थाना बडौत।

2-उ0नि0- श्री प्रेमपाल सिंह थाना बडौत ।

3-उ0नि0 श्री दीपक चौधरी थाना बडौत।

4-उ0नि0 श्री सन्नी चौधरी थाना बडौत।

5-उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना बड़ौत।

6-है0का0 22 अमित नागर थाना बडौत।

7-है0का0 316 नागेन्द्र सिंह थाना बडौत।

8-का0 666 रघुवीर सिंह थाना बडौत।

9-का0 493 विवेक सिरोही थाना बडौत।

10-म0का0 864 शैली मोरल थाना बडौत।